:: कार्यवाही विवरण ::

मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सम्बन्धित जिलों की वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मेवात क्षेत्रीय विकास मण्ड़ल की बैठक दिनांक 08.06.2016 को मध्यान्ह 12.30 बजे कान्फ्रेन्स कक्ष, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आहूत की गई जिसमें उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण की सूची संलग्न है ।

1. सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं परिचय के पश्चात जिलों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना एवं मेवात योजना के दिशा–निर्देशों के बारे में पॉवर पाइन्ट प्रजेन्टेशन दिया गया । अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी विधायकों से वार्षिक कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये । श्री ज्ञानदेव आहूजा, विधायक एवं श्री जयराम जाटव, विधायक द्वारा अलवर जिले से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन साधारण सभा की बैठक में नहीं कराया जाना एवं उन्हें जिला परिषद की बैठक से पूर्व इस बाबत् औपचारिक रूप से अवगत नहीं कराये जाने का आरोप लगाया गया । अन्य उपस्थित विधायकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना में उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों के शामिल होने बाबत् सहमति जताई गई । इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अलवर जिले के सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों से पुनः मेवात योजना में प्रस्ताव लेते हुये संशोधित वार्षिक कार्य योजना जिला परिषद की साधारण सभा की अध्यक्षता में बैठक कर भेजने के निर्देश दिये गये ।

2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि ने कहा कि मेवात योजना में शामिल 2 जिलों की वार्षिक कार्य योजना के समस्त कार्यो का महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स नहीं किया गया है जबकि इस बाबत् राज्य स्तर से 25 फरवरी 2016 को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे । प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि द्वारा इस सम्बन्ध में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वार्षिक कार्य योजना में शामिल अनुमत कार्यो का महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स करते हुए पुनः वार्षिक कार्य योजना 3 दिवस में भिजवाने के निर्देश दिये गये । जो कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना से अनुमत है उन्हें महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्वीकृत किया जावे एवं अतिरिक्त सामग्री मांग की पूर्ति मेवात योजना से किए जाने के निर्देश दिये गये ।

3. श्रीमति अनिता, विधायक द्वारा एवं उपस्थित विधायकों द्वारा जिला कलक्टर की बैठक में प्लान अनुमोदन बाबत् राज्य स्तर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने के बारे में बताया गया जिस पर शासन सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन जिला परिषद की साधारण सभा से ही किया जाना है । दिशा–निर्देशों में वर्णित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी वैधानिक रूप से वर्तमान में प्रभावी नहीं है क्योंकि कमेटी में शामिल माननीय सांसदगण के मनोनयन की अनुमति सक्षम स्तर से अपेक्षित है ।

4. उपस्थित विधायकों द्वारा योजना में स्वीकृत कार्यो का गुणवत्ता निरीक्षण नियमित तौर पर कराये जाने पर जोर दिया । शासन सचिव, ग्रावि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्यो के निरीक्षण के लिये राज्य/जिला स्तर से थर्ड पार्टी निरीक्षण दल की व्यवस्था लागू है । साथ ही किसी जिले विशेष में शिकायत होने पर अथवा आवश्यक होने पर राज्य स्तरीय टीम भेजकर भी जाँच कराई जा सकती है ।